

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक),
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

**** अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।**

द्वारा :-

**** मंत्रिपरिषद।**

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत हिफर (बछिया-पाड़ी) पालन केन्द्रों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान रुपये 4,55,00,000/- (रुपये चार करोड़ पचपन लाख) सहित कुल परियोजना लागत रुपये 73,47,79,000/- (रुपये तिहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख उनासी हजार) की स्वीकृति तथा शेष राशि रुपये 68,92,79,000/- (रुपये अड़सठ करोड़ बानवे लाख उनासी हजार) का व्यय राज्य स्कीम सात निश्चय-3 के अंतर्गत किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत हिफर (बछिया-पाड़ी) पालन केन्द्रों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान रुपये 4,55,00,000/- (रुपये चार करोड़ पचपन लाख) सहित कुल परियोजना लागत रुपये 73,47,79,000/- (रुपये तिहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख उनासी हजार) की स्वीकृति तथा शेष राशि रुपये 68,92,79,000/- (रुपये अड़सठ करोड़ बानवे लाख उनासी हजार) का व्यय राज्य स्कीम सात निश्चय-3 के अंतर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक-1, 2 एवं 3 के रूप में संलग्न है।

- 20वीं पशुगणना के आधार पर राज्य में 131.35 लाख प्रजनन योग्य गाय एवं भैंस जाति के पशु हैं, जिनमें 24.98 लाख प्रजनन योग्य संकर नस्ल के गौ जाति समाहित हैं, जो राज्य के कुल प्रजनन योग्य पशुओं का कुल 19.10 प्रतिशत है। राज्य में 61.47 लाख प्रजनन योग्य देशी नस्ल के गाय हैं, जो कुल प्रजनन योग्य पशुओं का 46.79 प्रतिशत है। राज्य में 44.88 लाख प्रजनन योग्य भैंस जाति के पशु हैं, जो कुल प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या का 34.16 प्रतिशत है।
- वर्तमान में राज्य में नस्ल सुधार कार्यक्रम हेतु पूर्णियाँ सीमेन स्टेशन/अन्य राष्ट्रीय "ए" ग्रेड सीमेन स्टेशन के उन्नत नस्ल के फ्रोजेन सीमेन का प्रयोग किया जा रहा

है। सामान्यतः इस माध्यम से नर एवं मादा वत्स प्राप्त होने की सम्भावना आधी-आधी होती है। बिहार राज्य में नस्ल सुधार से दूध के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए सेक्स सोर्टेड सीमेन का प्रयोग की आवश्यकता है। सेक्स सोर्टेड सीमेन के प्रयोग से मादा वत्स होने की सम्भावना 90 प्रतिशत तक होती है। इससे कृत्रिम गर्भाधान के पश्चात् अच्छी उत्पादकता वाले मादाओं की संख्या में वृद्धि वर्तमान व्यवस्था से लगभग 80 प्रतिशत तक ज्यादा होना सम्भावित है। इसके अतिरिक्त ETT के माध्यम से अच्छे नस्ल का भ्रूण प्रत्यारोपण कर त्वरित नस्ल सुधार किया जाएगा। जिससे राज्य में अच्छे नस्ल के मादा पशुओं में वृद्धि के साथ दुग्ध की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि होगी।

4. इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ, उच्च उत्पादन क्षमता के शुद्ध अनुवांशिक गुणवत्ता वाले दुधारु पशुओं को आई०वी०एफ० तकनीक द्वारा तैयार कर पशुपालकों को उपलब्ध कराना है। इस हेतु भारत सरकार के मानक के अनुसार आई०वी०एफ०/ई० टी० टी० में उपयोग होने वाले SIRE और DAM Genomic Positive value वाले होंगे। शुद्ध अनुवांशिक गुणवत्ता वाले दुधारु पशुओं का लाभ राज्य के दुग्ध उत्पादकों को निरन्तर प्राप्त होगा साथ ही राज्य के दुग्ध उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रक्रिया से प्राप्त शुद्ध अनुवांशिक गुणवत्ता वाले नर (साँढ़) का उपयोग सीमेन स्टेशन में किया जाएगा।
5. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत हीफर (बछिया-पाड़ी) पालन केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्यांश :-

भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के 24वें नेशनल स्टेयरिंग कमिटी के बैठक दिनांक 11.05.2026 द्वारा राज्य में 2 हीफर रेयरिंग सेन्टर की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

- (i) वित्तीय वर्ष 2026-27 में बक्सर जिलान्तर्गत गोकुल ग्राम, डुमराँव (हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र) को चालू किया जाएगा। यहाँ पर 500 मादा पशु रखे जायेंगे जिनमें आई०वी०एफ०/सेक्स सोर्टेड सीमेन का उपयोग कर वत्स प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त हीफर (बछिया) का आई०वी०एफ०/सेक्स सोर्टेड सीमेन के उपयोग से गर्भित कर पशुपालकों को निर्धारित मूल्य पर बिक्री किया जाएगा। योजना की कुल लागत राशि 3704.30 लाख है। जिसमें केन्द्रांश की राशि 227.50 लाख है। शेष राशि 3476.80 लाख रुपये राज्यांश के रूप में व्यय किया जाएगा।
- (ii) उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुंगेर में दूसरे केन्द्र की स्थापना कॉम्पेड के द्वारा की जाएगी। इस कार्य हेतु 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि का आवंटन प्राप्त किया गया है। इस योजनान्तर्गत 500 हीफर का पालन पोषण किया जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष 200-250 हीफर को आई०वी०एफ० तकनीक द्वारा गर्भित कर पशुपालकों को निर्धारित मूल्य पर बिक्री किया जाएगा एवं समतुल्य संख्या में नये हीफर का क्रय किया जायेगा।

योजना की कुल लागत राशि 3643.49 लाख है। जिसमें केन्द्रांश की राशि 227.50 लाख है। शेष राशि 3415.99 लाख रुपये राज्यांश के रूप में व्यय किया जाएगा।

इस हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान रुपये 455.00 लाख सहित कुल परियोजना लागत रुपये 7347.79 लाख (रुपये तिहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख उनासी हजार) की स्वीकृति तथा शेष राशि रुपये 6892.79 लाख (रुपये अड़सठ करोड़ बेरानवे लाख उनासी हजार) राज्यांश के रूप में आवश्यकता होगी।

6. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में होने वाले व्यय का विकलन निम्नलिखित बजट शीर्ष से किया जायेगा :-
 - (i) मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102 -डेरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या-02, उप शीर्ष-0119 -आधुनिक तकनीकों से डेयरी का समग्र विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन तंत्र सुदृढीकरण सात निश्चय-3, विपत्र कोड 02-2404001020119, विषय शीर्ष-0119.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से विकलनीय होगा।
 - (ii) मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-02, उप शीर्ष-0105 -आधुनिक तकनीकों से डेयरी का समग्र विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन तंत्र सुदृढीकरण सात निश्चय-3, विपत्र कोड 02-2404007890105, विषय शीर्ष-0105.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से विकलनीय होगा।
7. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यकारी दिशा-निर्देश विभाग द्वारा समय-समय पर अलग से निर्गत किया जायेगा।
8. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
9. इस योजना के तहत योजना का क्रियान्वयन कॉम्पेड, पटना द्वारा किया जायेगा।
10. इस योजना अंतर्गत कॉम्पेड, पटना को स्वीकृत राशि का भुगतान सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर निदेशक, गव्य द्वारा एकमुस्त कॉम्पेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्पेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।
11. कॉम्पेड द्वारा इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों का सम्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर कराया जायेगा।

12. इस योजना को ससमय पूर्ण करने की जवाबदेही कॉम्फेड, पटना की होगी तथा योजनाओं का अनुश्रवण सचिव डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार तथा बिहार विकास मिशन द्वारा किया जाएगा।
13. इस योजना का क्रियान्वयन ससमय पूर्ण होने के पश्चात अठारह माह की अवधि के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी०टी०सी० प्रपत्र-42A में) एवं व्यय राशि के अभिलेख सहित कॉम्फेड, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
15. दिनांक-19.08.2026 को सम्पन्न लोक वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका-6 एस०एस०(6)79/2026 के पृष्ठ 38-37/प०.
16. दिनांक-02.09.2026 को मद संख्या-06 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)79/2026 (पृष्ठ-15/टि०).
17. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)79/2026 के पृष्ठ-17/टि० तथा डायरी सं०-619, दिनांक-08.09.2026.
18. वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(कुमार रवीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)79/2026-4941/पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)79/2026-4941/पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)79/2026-4941/पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)79/2026-4941/पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)79/2026-4941/पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-02.09.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-06 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)79/2026-4941/पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा-06 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)79/2026-4941/पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)79/2026-4941/पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत हिफर (बछिया-पाड़ी) पालन केन्द्रों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान रुपये 455.00 लाख (रुपये चार करोड़ पचपन लाख) सहित कुल परियोजना लागत रुपये 7347.79 लाख (रुपये तिहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख उनासी हजार) की स्वीकृति तथा शेष राशि रुपये 6892.79 लाख (रुपये अड़सठ करोड़ बानवे लाख उनासी हजार) का व्यय राज्य स्कीम सात निश्चय-3 के अंतर्गत किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

विपत्र कोड 02-2404001020119, विषय शीर्ष-0119.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद।

(राशि रुपये लाख में)				
क्र० सं०	विवरणी	वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना हेतु स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार
1	2	3	4	5
1	हिफर पालन केन्द्र, डुमराँव, बक्सर	3476.80	निदेशक, गव्य या इनके द्वारा प्राधिकृत/नामित पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना
2	हिफर पालन केन्द्र, मुंगेर	2930.99		
कुल :-		6407.79		

(चौसठ करोड़ सात लाख उनासी हजार रुपये)

4941
10/09/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक- 2

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत हिफर (बछिया-पाड़ी) पालन केन्द्रों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान रुपये 455.00 लाख (रुपये चार करोड़ पचपन लाख) सहित कुल परियोजना लागत रुपये 7347.79 लाख (रुपये तिहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख उनासी हजार) की स्वीकृति तथा शेष राशि रुपये 6892.79 लाख (रुपये अड़सठ करोड़ बानवे लाख उनासी हजार) का व्यय राज्य स्कीम सात निश्चय-3 के अंतर्गत किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

विपत्र कोड 02-2404007890105,, विषय शीर्ष-0105.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद।

(राशि लाख में)				
क्र० सं०	विवरणी	वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना हेतु स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार
1	2	3	4	5
1	हिफर पालन केन्द्र, मुंगेर	485.00	निदेशक (गव्य) या इनके द्वारा प्राधिकृत/नामित पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना
कुल :-		485.00		

(चार करोड़ पचासी लाख रुपये)

4941
10/09/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-3

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत हिफर (बछिया-पाड़ी) पालन केन्द्रों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान रुपये 455.00 लाख (रुपये चार करोड़ पचपन लाख) सहित कुल परियोजना लागत रुपये 7347.79 लाख (रुपये तिहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख उनासी हजार) की स्वीकृति तथा शेष रुपये 6892.79 लाख (रुपये अड़सठ करोड़ बानवे लाख उनासी हजार) का व्यय राज्य स्कीम सात निश्चय-3 के अंतर्गत किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

क्र०	विवरण	2026-27		
		इकाई दर	भौतिक	वित्तीय
I	केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत हीफर (बछिया-पाड़ी) पालन केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्यांश			
	(i) हिफर पालन केन्द्र (डुमराँव, बक्सर)	3476.80	1	3476.80
	(ii) हिफर पालन केन्द्र (मुंगेर)	3415.99	1	3415.99
	कुल :-	2		6892.79

(रुपये अड़सठ करोड़ बानवे लाख उनासी हजार) मात्र।

4941
10/09/20

सरकार के संयुक्त सचिव